दिनांक 06.05.2023
प्रेस विज्ञप्ति 06/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख 16 हजार 420 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **लूट के रूपये से खरीदी गयी स्कूटी, अन्य सामान**
- **02 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.05.2023 को थाना सेक्टर–58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीडैक कम्पनी के सामने सी ब्लाक सेक्टर–62 से 03 अभियुक्तों 1–साहिल उर्फ शहवाज 2–बिज्जी उर्फ विजय उर्फ ब्रिजेश 3–आदी उर्फ दिव्यांशू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 16 हजार 420 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), लूट के रूपये से खरीदी गयी स्कूटी, अन्य सामान, 02 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 21.04.2023 को थाना सेक्टर–58 से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट सहित हत्या की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त साहिल उर्फ शहबाज के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के विभिन्न थाना पर हत्या, डकैती, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त बिज्जी उर्फ विजय उर्फ ब्रिजेश

के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एकट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साहिल उर्फ शहवाज निवासी ग्राम बैठ थाना सिम्भावली जनपद हापुड हालपता–दीपक विहार खोडा कालोनी गाजियाबाद।

2–बिज्जी उर्फ विजय उर्फ ब्रिजेश निवासी मोहल्ला बाल्मीकि कस्बा व थाना नगीना जनपद नुहू मेवात हरियाणा हालपता–गली नं0–2 आईपी कालोनी सन्तनगर बुराडी दिल्ली।

3–आदी उर्फ दिव्यांशू निवासी इस्लामपुर दास थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर हालपता–विक्ट्री वन अमारा सोसाइटी थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लूट के 02 लाख 16 हजार 420 रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3–लूट के रूपये से खरीदी गयी स्कूटी, अन्य सामान।

4–02 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मेरठ/थाना कंकरखेड़ा

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 पेटी अवैध शराब**
- **घटना में प्रयुक्त कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनॉकः 05.05.2023 की रात्रि थाना कंकरखेड़ा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झिझौर जाने वाले रास्ते पर पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त

जसवंत घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 12 पेटी अवैध शराब, घटना में प्रयुक्त कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मेरठ, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर आबकारी एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कंकरखेड़ा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जसवंत निवासी राजस्थान हाल पता–कासमपुर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–12 पेटी अवैध शराब।

2–घटना में प्रयुक्त कार।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

जनपद बांदा/थाना जसपुरा

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **15 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र**
- **07 नाल**
- **05 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवेध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 06.05.2023 को थाना जसपुरा व पैलानी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पड़ोहरा के पास से अभियुक्त 1–रामकरन उर्फ झिग्गू को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही पर ग्राम अमारा से अभियुक्त 2–रामसुफल

3–बाबूलाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 15 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 07 नाल,05 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवेध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जसपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रामसुफल निवासी अमारा थाना जसपुरा जनपद बांदा।

2–बाबूलाल निवासी अमारा थाना जसपुरा जनपद बांदा।

3–रामकरन उर्फ झिग्गू निवासी अमारा थाना जसपुरा जनपद बांदा।

<u>बरामदगी</u>

1–15 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र।

2–07 नाल।

3–05 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

4–अवेध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

<u>जनपद मेरठ/थाना किठौर</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **09 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **04 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे बरामद**

दिनॉकः 05.05.2023 की रात्रि थाना किठौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईशापुर मोड़ के सामने ईख की खेत से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02

अभियुक्तों 1–शकली 2–भूरे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 09 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 04 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना किठौर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शकील निवासी ग्राम राधना थाना किठौर जनपद मेरठ।

2–भूरे निवासी ग्राम राधना थाना किठौर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–09 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–04 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

- **जनपद बस्ती/थाना नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉस्को एक्ट) जनपद बस्ती द्वारा थाना नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 कख भादवि व 5(ड)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विनोद गिरी उर्फ भागू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जौनपुर/थाना सरायख्वाजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 07–07 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय/विशेष न्यायाधीश एम0पी0एम0एल0ए0 जनपद जौनपुर द्वारा थाना

सरयख्वाजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 04 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–आदर्श सिंह उर्फ सोनू 2–राम सिंगार सिंह 3–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के कारावास व 07–07 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटरचित भारतीय जाली मुद्रा की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य कूटरचित भारतीय जाली मुद्रा रूपये के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 06–05–2023 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तरराज्यीय स्तर पर कूटरचित भारतीय जाली मुद्रा की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को कूटरचित भारतीय जाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– डा0 नफीश अहमद पुत्र जमील अहमद नि0 कमालपुर फतेहाबाद थाना कुन्दरकी, मुरादाबाद।

2– मो0 नाजिम पुत्र खलील अहमद निवासी मो0 चौघरीयान मदीना मस्जिद थाना भोजपुर, मुरादाबाद।

बरामदगीः–

1– 20 रूपये की 6,000 जाली मुद्रा (कुल 1,20,000/– रूपये)

2. 03 अदद मोबाईल फोन

3. 1 अदद लेमिनेशन मशीन

4. 1 अदद प्रिन्टर

5. 1 अदद कलर प्रिन्टर इन्बिलड स्कैनर

6. 2 अदद रिम नोट वनाने का कागज जे0के0 एक्सल बोन्ड

7 1 रोल हरे रंग व सिल्वर रंग का नोटो पर तार बनाने के लिए

8 1 लैपटॉप लेनवो कम्पनी का

9. रू0 800/– भारतीय मुद्रा

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय :–</u>

पीपलसाना चौराहा स्थित कस्बा भोजपुर अभियुक्त नाजिम का गोदाम जनपद मुरादाबाद दिनांक 06–05–2023, समयः03.15 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदो में कूटरचित भारतीय जाली मुद्रा की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री अब्दुल कादिर, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, बरेली के पर्यवेक्षण में उ0नि0 श्री राशिद अली एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभूिसचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि कूटरचित भारतीय जाली मुद्रा की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य पीपलसाना चौराहे पर स्थित नाजीम के गोदाम मे जाली मुद्रा का बनाकर आस पास के राज्यों व जिलो मे 50 प्रतिशत असली मुद्रा लेकर दुगुना कूटरचित भारतीय जाली मुद्रा लोगो को देते है। इस सूचना को स्थानीय पुलिस को साथ लेकर कस्बा भोजपुर पीपलसाना चौराहे पर अभियुक्त नाजिम के गाोदाम से 20 रूपये के 6,000/– (एक लाख बीस हजार रूपये) जाली मुद्रा बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग कूटरचित भारतीय जाली मुद्रा स्वयं ही कलर प्रिन्टर व फोटो शाफ की मदद से अच्छी क्वलिटी का कागज का इस्तेमाल कर प्रिन्ट करते है। 20 रूपये के नोट बाजार मे आसानी से चल जाते है इसलिए भारी मात्रा मे 20–20 रूपये के नोट छापते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद में दाखिल कर उनके विरूद्ध मु0अ0सं0 136/2023 धारा 489ए/489बी/489सी/420/467/468/471 भा0 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त डा0 नफीश अहमद पुत्र श्री जमील अहमद नि0 ग्राम कमालपुर थाना कुदंरकी जनपद मुरादाबाद

1. मु0अ0सं0 643/2022 धारा 489बी/489सी भादवि थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद।
2. मु0अ0सं0 41/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना अमरोहा नगर, जनपद अमरोहा।
3. मु0अ0सं0 42/2021 धारा 420/489ए/489बी/489सी/489डी भादवि थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।
4. मु0अ0स0 633/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना अमरोहा नगर जनपर अमरोहा।

मु0अ0सं0 64/2018 धारा 420/489ए/489बी/489सी/489डी भादवि थाना इकोटेक तृतीय गौतमबुद्धनगर।

———————